कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/नियु.प्रको./नियु–2/982/शिक्षक भर्ती 18/ले–2/2018–19/ **दिनांकः** 04.09.2018

सूचना

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 अन्तर्गत लेवल द्वितीय के 28000 पदो पर भर्ती हेतु दिनांक 31.07.2018 को पदवार विज्ञप्तियां जारी कर दिनांक 05.08.2018 से 25.08.2018 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये गये, अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन आवेदन में भरी गई सूचनाओं यथा आरटेट/रीट एवं स्नातक के प्राप्तांकों के आधार पर पद विशेष हेतु विज्ञापित वर्गवार पदों की सीमा तक अभ्यर्थियों का **प्रोविजनल चयन** किया जाकर प्रोविजनल चयन सूचियां व अंतिम कट–ऑफ मार्क्स जारी किये गये हैं । उक्त भर्ती में विभिन्न पदों पर प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि :–

1. विभाग द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा ऑन–लाईन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही प्रोविजनल चयन किया गया है। प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच नहीं की गई है अतः प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी दस्तावेज उपरान्त पात्र पाये जाने पर ही नियुक्ति के अधिकारी होंगे। प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी अपात्र पाये जाने पर नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा।
2. प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी की पात्रता की जांच संबंधित जिले की जिला परिषद द्वारा किया जाकर ही पात्र पाये जाने पर ही नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
3. प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी उनको आवंटित जिले की जिला परिषद से संपर्क कर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक की जानकारी प्राप्त कर निर्धारित तिथि को जिला परिषद में अपने सम्पूर्ण मूल दस्तावेजों सहित व्यक्तिशः उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा अधिकतम आयु सीमा/न्यूनतम शैक्षिक योग्यता (स्नातक) के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में छूट प्राप्त की, उन्हें संबंधित वर्ग का सक्षम स्तर से जारी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही, पात्रताा मानी जाएगी। उदाहरणः– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमीलेयर में आवेदन किया जाकर अधिकतम आयु सीमा/ न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में छूट प्राप्त की तो उन्हें सक्षम स्तर से जारी अन्य पिछड़ा वर्ग में नॉन क्रिमीलेयर में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थी को स्नातक/समकक्ष की सभी वर्षों की अंकतालिकाऐं प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।
6. अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र से सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवें कि उनकी आरटेट/रीट प्रमाण पत्र में लेवल–द्वितीय परीक्षा में प्राप्तांक व राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर की वेबसाईट पर उपलब्ध आरटेट/रीट के प्राप्तांक समान है यदि अंकों में अन्तर पाया जाता है तो अभ्यर्थी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यदि अभ्यर्थी के अनुसार उसके आरटेट/रीट के प्रमाण पत्र के अंक सही है व बोर्ड की वेबसाईट पर अंक सहीं नहीं आ रहे हैं तो इस संबंध में अभ्यर्थी को बोर्ड से तत्संबंधी प्रमाण प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. उक्त भर्ती के संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 31.07.2018 को जारी की गई विस्तृत विज्ञप्ति एवं संबंधित नियमों का विस्तृत अध्ययन कर पात्रता की जांच करावें।
8. अभ्यर्थी संलग्न प्रारूप के अनुसार घोषणा एवं शपथ पत्र बनवाकर संलग्न सूची के अनुसार दस्तावेजों का क्रम निर्धारित कर संबंधित जिला परिषद् को स्वः प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करें।
9. कट ऑफ एवं जिला आवंटन करने में यथासंभव पूर्ण सावधानी बरती गई है तथापि किसी अभ्यर्थी को अपनी प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रकार की उचित, कानूनी या नियमसंगत आपत्ति है तो वह अपनी आपत्ति विभाग की ई–मेल आईडी parivedna.niyukti2018@gmail.com पर दिनांक 07.09.18 सायं 6 बजे तक उचित कारणों सहित सप्रमाण प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा,एवं पं.राज (प्राशि)राजस्थान,
बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 लेवल द्वितीय अन्तर्गत प्रोविजनल चयनित अभ्यर्थी का विवरणः– गैर अनुसूचित क्षेत्र / अनुसूचित क्षेत्र

जिला :–		
पद का नाम मय विषय :–		
मेरिट नं.		
एप्लीकेशन आईडी नं.		
अभ्यर्थी का नाम		
जन्म तिथि		
पिता का नाम		
केटेगरी		
अभ्यर्थी के मोबाईल नं.		

क्र.सं.	दस्तावेज/प्रमाण–पत्र का नाम	संलग्न सं.
1	मूल आवेदन–पत्र प्रति	
2	घोषणा–पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
3	शपथ–पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
4	सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित प्रति।	
5	सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका की स्वःप्रमाणित प्रति।	
6	स्नातक / समकक्ष की तीनों वर्षों की अंकतालिका की स्वः प्रमाणित प्रति।	
7	स्नात्कोत्तर की अंकतालिका की स्वः प्रमातिण प्रति।	
8	बीएसटीसी / बी.एड. / समकक्ष की अंकतालिका की स्वः प्रमाणित प्रति।	
9	मूल निवास प्रमाण–पत्र की स्वः प्रमाणित प्रति।	
10	जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित क्षेत्र जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की स्वः प्रमाणित प्रति। नोट :– अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र हो।	
11	शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति) (Under Clasuse (1) of section 2 of the Persons with disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act. 1995)	
12	विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ–पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र की स्वः प्रमाणित प्रति।	
13	तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय/डिक्री की स्वः प्रमाणित प्रति।	
14	अभ्यर्थी के वर्तमान में उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने का प्रमाण–पत्र (संस्था प्रधान द्वारा जारी)	
15	RTET/RTET – का प्रमाण पत्र (यदि परीक्षा 60% या अधिक अंको (टीएसपी एसटी के अभ्यर्थी के मामले में 36 प्रतिशत) से उर्त्तीण की है तो।)	
16	विवाहित होने की स्थिति में दहेज नहीं लेने/देने संबंधी स्वः घोषणा	
17	आयोग/भर्ती बोर्ड एवं अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वंचित नहीं किये जाने का शपथ पत्र	
18	विवाह पंजियन प्रमाण पत्र की स्वः प्रमाणित प्रति	
19	संतान संबंधी घोषणा पत्र	
20		
21		
22		
23		
24		
25		
	कुल संलग्नकों की संख्या	

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर